

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
(Central Board of Direct Taxes)  
(Income-tax)  
Notification

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> September, 2015

S.O. (E). - In exercise of the powers conferred by section 295, read with clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2015.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2BB, in sub-rule (2), in the Table, against serial number 11, in the entry under column (2) relating to "name of allowance", after the words "who is blind"; the words "or deaf and dumb" shall be inserted.

[Notification No. 75 /2015/F. No.142/02/2015-TPL]

*Arju Garodia*  
(Arju Garodia) 23/9/15  
Under Secretary (TPL)

Note .—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962, and last amended by vide Notification number S.O. 2290(E) dated 17<sup>th</sup> August, 2015.

*Arju*  
28/9/15  
*Rele*

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
(आय-कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 सितंबर, 2015

का.आ. ....(अ) .- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर ( तेरहवां संशोधन ) नियम, 2015 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2ख ख, के उप-नियम (2), की सारणी में, क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन "भत्ते का नाम" संबंधी प्रविष्टि में, शब्दों "जो अंधा है" के पश्चात् "या मूक-बधिर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(अधिसूचना सं. 15 /2015/फा.सं. 142/02/2015-टीपीएल)

आरजू गाडोदिया

( आरजू गाडोदिया )

अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 2290 (अ) तारीख 17/08/2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।